न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 59 / 2022(GCMS 2022/332)

1. **अमृतपाल सिंह उर्फ सेवक सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मोड़ा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **शिवराज सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मोड़ा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **सतनाम सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मोड़ा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **भारत संघ** जरिये सेक्रेट्री सरफेस ट्रान्सपोर्ट एवं नेशनल हाईवे, नई दिल्ली
2. **भारतीय नेशनल हाईवे** जरिये जनरल मैनेजर 5 व 6 सेक्टर 10, द्वारिका, नई दिल्ली
3. **परियोजना निदेशक,** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, 191, कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ टाऊन, हनुमानगढ
4. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी,** श्रीकरणपुर
5. **राजस्थान** राज्य जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीकरणपुर

26.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह का कथन है कि प्रार्थीगण के नाम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि नगरपालिका, श्रीकरणपुर की पैराफेरी में गांव 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नं. 1 ता 25 में तादादी 6.325 हैक्टेयर औद्योगिक भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण की उक्त मुरब्बा नम्बर 38 के किला नं. 16 ता 25 तादादी 2.5320 हैक्टर भूमि का कृषि से अकृषि

प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व सपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 के अधीन औद्योगिक ईन्ट भट्टा के रूप में सपरिवर्तन दिनांक 07.07.2014 को भू–रूपान्तरण आदेश क्रमांक 544/2014 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा किया जाकर शाश्वत लीज प्रार्थीगण के पक्ष में जारी की है और उक्त मुरब्बा नम्बर 38 के किला नं. 16 ता 25 में प्रार्थीगण द्वारा डिप्टी ईन्ट उद्योग के नाम से ईन्ट उद्योग संचालित है व किला नं. 5. 6, 15 का उपयोग प्रार्थीगण अपने ईट उद्योग के कच्चा माल व ईंधन रखने के व्यवसायिक प्रयोजन हेतु करते हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण के उक्त ग्राम 12 ओ के मु0नं0 38 के किला नं० 1 ता 25 की औद्योगिक भूमि नगरपालिका श्रीकरणपुर की नगरीय सीमा (पेराफेरी) में स्थित औद्योगिक भूमि है, जो कि नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प 10 (112) दिनांक 17.01.2012 के अन्तर्गत नगरपालिका श्रीकरणपुर के वर्ष 2001 के मास्टर प्लान में सम्मिलित क्षेत्र में स्थित भूमि है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भारत माला परियोजना पैकेज 6 (पार्ट–1) के श्रीगंगानगर (एन. एच. 62) से साधुवाली–जेड माईनर श्रीकरणपुर गजसिंहपुर– रायसिंहनगर के 2/4 लेन मय पैड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत भूमि आवंटित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी के अन्तर्गत भूखण्ड अर्जन योग्य/अवाप्तिधीन भूमि में स्थित सरंचनाओं एवं पेड़ पौधों का मुआवजा निर्धारण हेतु भारतीय राजपत्र में अधिसूचना का.आ. संख्या 212 (अ) दिनांक 12.01.2018 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी [illegible]र को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत [illegible] राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चिंहित अर्जन/योग्य/अवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में तहसील श्रीकरणपुर के ग्राम 1 एफ–ए, 12–ओ, 44–एफ, 46 एफ, 5 ओ, 6 ओ(ए),

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6ओ(बी), 9 डब्ल्यू की खातेदारी भूमि की अवाप्ति हेतु अधिसूचना का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 02.04.2018 को किया गया। जिसकी सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों सीमा संदेश व राजस्थान पत्रिका के हिन्दी संस्करणों में 11.04.2018 प्रकाशित की गई, जिसमें अवार्ड संख्या 168 ता 179 में प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि में से किला नं. 16 में तादादी 0.0471 हैक्टेयर भूमि व किला नं० 25 की तादादी 0.0472 हेक्टर भूमि किस्म औद्योगिक दर्ज कर मुआवजा राशि की गणना अवार्ड में सिंचित कृषि भूमि की दर से की गई है व किला नं0 15 की 0.0472 हैक्टर भूमि व किला नं0 5 की तादादी 0.0472 व किला नं0 6 की तादादी 0.0472 हेक्टर अवाप्तिधीन भूमि के मुआवजा राशि की गणना किस्म बारानी की डी.एल.सी. की दर से कर मुआवजा राशि का मूल्याकंन किया गया है, जो की न्यायोचित नहीं है, प्रतिवादीगण की ग्राम 12 ओ के मु0नं0 38 के किला नं० 1 ता 25 की उक्त भूमि औद्योगिक भूमि है और एक ही मुरब्बा की संलग्न एकल भूमि है जिसमें डिप्टी ईन्ट उद्योग के नाम से ईन्ट भट्टा संचालित है। जिसकी मुआवजा राशि की गणना नगरपालिका श्रीकरणपुर की पैराफेरी में स्थित औद्यौगिक भूमि के बाजार मूल्य की दर से किया जाना न्याय संगत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी भू–अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी ने उक्त भूमि के मुआवजा राशि का निर्धारण सिंचित कृषि की भूमि की डीएलसी दर से किया है, जो कि सहबन से हुई त्रुटी प्रतीत होता है, जिसे दुरस्त करवाने के प्रार्थीगण अभिलाषी है।

उनका आगे यह भी कथन [illegible] 12ओ के मुरब्बा नं. 38 के किला नं.16 [illegible] औद्योगिक भूमि का मुआवजा सिंचित कृषि भूमि की दर से दिया जाना व किला नं0 5, 6 व 15 की संलग्न औद्योगिक भूमि का मुआवजा बारानी भूमि की डीएलसी दर से दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कतई न्यायोचित नहीं है। उक्त जारी अवार्ड 168 ता 179 व 32 व 33 सरंचनात्मक व ट्रि अवार्ड से प्रार्थीगण को मुख्य रूप से निम्न दो बिन्दुओं पर प्रत्यक्ष आर्थिक हानि हो रही है :

उनका आगे यह भी कथन है कि गांव 12ओ के मु.नं. 38 के किला नं. 16 में तादादी 0.0471 हेक्टेयर भूमि व किला नं0 25 में तादादी 0.047 हैक्टर भूमि किस्म औद्योगिक जिसे राजस्व गांव 12 ओ की सिंचित कृषि भूमि मानकर डीएलसी दर से आवाप्त की गई। यह आवाप्तशुदा भूमि वास्तविक रूप नगरपालिका श्रीकरणपुर के मास्टर प्लान में स्थित औद्योगिक भूमि है, जिसकी श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीकरणपुर की रिपोर्ट के अनुसार चक 12 ओ (जिसके अन्तर्गत मु.नं. 38) आता है का पूरा रकबा नगरपालिका परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्तर्गत आता है। इसलिये प्रार्थीगण की भारतमाला सड़क परियोजना में उक्त मु.नं. 38 की उक्त किला नं. 5, 6, 15, 16 व 25 की आवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा नगर पालिका करणपुर के पैराफेरी क्षेत्र/परिधि नियंत्रण पट्टी की कृषि उपज मण्डी के बाजार मूल्य के आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण के शहरी क्षेत्र की पैराफैरी में स्थित ईंट उद्योग की औद्योगिक भूमि का बाजार मूल्य कृषि उपज मण्डी की डीएलसी अनुसार होना चाहिये था, जबकि सक्षम प्राधिकारी (भू०अ०) एवं उपखण्ड अधिकारी ने औद्योगिक भूमि की दर से न तो मुआवजा राशि की गणना की और न ही कोई गणना की, इसके विपरित प्रार्थीगण की उद्योगिक भूमि की मुआवजा राशि सिंचित कृषि भूमि व बारानी भूमि की दर से कर दिया गया जो कि गलत है। और न्याय की मंशा के विपरित है। जिसे दुरूस्त करवा पाने के प्रार्थीगण अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण की नगरपालिका श्रीकरणपुर की पैराफेरी में अवस्थित औद्योगिक भूमि भारतमाला सड़क परियोजना में आ रही है। औद्योगिक भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी है जिसकी बाबत् प्रार्थीगण श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी एवं आवाप्ति अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष दिनांक 31.08.2018 को अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई गई है और अपनी नगरपालिका श्रीकरणपुर की पैराफेरी में स्थित औद्योगिक भूमि के हिसाब से मुआवजा तय किये जाने का निवेदन किया जाता रहा है लेकिन उक्त भूमि आवार्ड में आवाप्ताधीन भूमि मे हेतु एक अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 31.08.2018 को इस आशय से प्रकाशन करवाया गया कि प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत हितबद्ध खातेदार काश्तकार पक्षकारान आवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में यदि इनका कोई आक्षेप हो तो वह इसे निर्धारित समयावधि 21 दिन में सक्षम प्राधिकारी (भू आवाप्त एवं उपखण्ड अधिकारी) श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उपरोक्त आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई करते समय क्रम सं. 01 में दर्ज अमृतपाल सिंह पुत्र डिप्टी सिंह वगैरह की चक 12 ओ के मु.नं. 38 के किला नं. 5,6,15,16,25, की आवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा औद्योगिक भूमि के बाजार मूल्य की दर से गणना कर दिया जाए, किन्तु प्रार्थीगण की आपत्ति निस्तारण में एकतरफा निर्णय लेते हुए आपत्ति विधि विरूद्ध खारिज कर दिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 16 ता 25 की [illegible] में डिप्टी ईन्ट उद्योग के नाम से ईन्ट भटटा संचालित है [illegible] उपसचिव द्वारा दिनांक 18.11.2021 को जारी [illegible] दिये गये है कि भारत माला सडक परियोजना के दोनो ओर सड़क के दोनों ओर केन्द्र बिन्दु से 75 मीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की दूरी तक किसी भी प्रकार के व्यवसायिक व औद्योगिक उपयोग पर प्रतिषेध रहेगा प्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 38 के किला न0 24 व 25 में प्रार्थीगण के ईन्ट भटटे की चिमनी उक्त 75 मीटर के भीतर आती है जिसे भविष्य में प्रार्थीगण को तौड कर भटटे को बंद करना पड़ेगा, भट्टे का व्यवसाय बंद होने से प्रार्थीगण को प्रतिवर्ष 8,50,000/—रूपये का औसातन आय का नुकसान होगा व 75 मीटर की सीमा के भीतर भट्टे की चिमनी व सरंचना आने से प्रार्थीगण को चिमनी व भट्टा को तोड़ना होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर ने आवार्ड प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर स्थित 8 कमरे व 4 आंगनो के मुआवजा राशि की गणना पी.डब्ल्यू ई डी की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 2,58,000/— रूपये की है जो कि न्यायोचित नही है प्रार्थीगण की उक्त आवाप्ताधीन भूमि पर बने उक्त पक्के कमरो के लिए बहुत कम मुआवजा राशि की गणना की गई है जबकि अन्य किसानो के एक कच्चे कमरे की मुआवजा राशि 1,40,067/— रूपये मुल्यांकन कर आवार्ड जारी किया है प्रार्थीगण की परिसम्पत्ति का त्रुटिवश कम मुल्याकन कर मुआवजा राशि की गणना गलत की गई है, जो न्यायोचित नही है जिसे दुरूस्त करवा पाने के प्रार्थीगण अधिकारी है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज—6 के 34.500 कि.मी. से 71.000 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडा करने/चार लेन करने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये भूमि अवाप्त करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 व 31.08.2018 का भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर तहसील श्रीकरणपुर के ग्राम 12 ओ के मुरब्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नम्बर 38 किला नम्बर 15, 16, 25, 5 व 6 में से भूमि अवाप्त की गई है। उक्त अधिसूचनाओं का प्रार्थीगण को सूचित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कर आपत्तिया आमन्त्रित की गयी, जिन व्यक्तियों ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि में आपत्ति प्रस्तुत की गयी, उनका सुनवाई के बाद नियमानुसार निस्तारण किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित करने बाबत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 को बारानी कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर, उपपंजीयक से प्राप्त की गई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धरा 3ए की अधिसूचना प्रकशन के समय ग्राम 12 के मु.नं. 38 के किला नम्बर 16 व 25 की अवाप्ति औद्योगिक भूमि की दरें नहीं होने की दशा में राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के अनुसार निर्धारित औद्यौगिक दरों के अनुसार एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारिण कर अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को पारित किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तत प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि ग्राम 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 25 की समूची भूमि औद्योगिक रूपान्तरित भूमि नहीं हैं। मुरब्बा नम्बर 38 के किला नं. 16 ता 25 की 2.3320 हैक्टेयर भूमि का औद्योगिक ईट भट्टा के रूप में उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 07.07.2014 से रूपान्तरित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा किला नं. 5,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6 व 15 की कृषि भूमि का उयोग, उद्योग व व्यवसायिक प्रयोजन हेतु करना विधि विरूद्ध है। जब तक कृषि भूमि का औद्योगिक व व्यवसायिक संपरिवर्तन नहीं होता है, तब तक वह कृषि भूमि ही मानी जाती है। अवाप्त कृषि भूमि को बिना विधिवत् रूपान्तरित करवाये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा अन्य किसी प्रयोग में लिया जा रहा है तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार है तथा अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड के संलग्न गणना पर्चा के क्रम संख्या 168 से 179 तक की अवाप्त सम्पूर्ण भूमि औद्योगिक भूमि नहीं होकर केवल क्रम संख्या 170 से 175 तक की अवाप्त भूमि ही औद्योगिक भूमि है, शेष अवाप्त भूमि बारानी है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की किस्म के अनुसार अवार्ड जारी किया गया है, जो सही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि नगरपालिका क्षेत्र / मास्टर प्लान के भीतर स्थित कृषि भूमि, कृषि भूमि ही रहती है और उनकी दरें नगरपालिका द्वारा तय नहीं की जाकर राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है। जिला स्तीरय समिति द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, किस्म, उसकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियां, बाजार भाव, शहर व सडक से दूरी इत्यादि का मूल्यांकन करने के पश्चात दरें तय की जाती है जो कि वास्तविक दर होती है। प्रार्थीगण की अवाप्तधीन भूमि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा स्वंय को अनुचित एवं अवैध लाभ पहुंचाने की नियत से अपने मन मुताबिक दोनों किस्म की अवाप्त भूमि अवैद्यानिक दर से मांग की जा रही है जो कि सरासर गलत व विधि विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में प्रार्थीगण के मुरब्बा नं. 38 के किला नम्बर 5, 6 व 15 की अवाप्त भूमि धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन के समय राजस्व रिकॉर्ड में बारानी कृषि भूमि दर्ज थी, इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वज्ञरा निर्धारित दर के अनुसार मुआवजा राशि की गणना कर अवार्ड जारी किया गया है, जो कि नियमानुसार है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण के किला नं. 16 व 25 की कृषि भूमि का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.07.2014 को जारी किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व नियम 2007 के अनुसरण में अधिसूचना दिनांक 18.11.2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 18.11.2021 से पूर्व जारी किये गये सुंपरिवर्तन आदेशों की अनुपालना में निर्मित संरचना तोड़ने के संबंध में नही है। प्रार्थीगण की संरचना को राज्य सरकार द्वारा तोड़ दिया जाता है तो प्रार्थीगण राज्य सरकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही कर सकते है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण केवल धारा 3ए अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व अवाप्ताधीन भूमि की संरचना की ही नियमानुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30(3) के अनुसार धारा 26(1) के अधीन निर्धारित भूमि के मूल बाजार मूल्य पर ही अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन से अवार्ड पारित होने की दिनांक तक 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि ब्याज स्वरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दिये जाने का प्रावधान है, जो कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण को दी गई है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30(1) के अनुसार दी जाने वाली सोलेशियम राशि पर ब्याज/अतिरिक्त राशि दिये जाने का प्रावधान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में नहीं है। प्रार्थीगण को अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26(1) के अनुसार में प्रचलित दर, धारा 26(2) के अनुसार राजस्थान सराकर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के तहत फैक्टर का लाभ, धारा 30(1) के अनुसार 100 प्रतिशत सोलेशयम राशि व धारा 30(3) के अनुसार भूमि के मूल बाजार मूल्य पर अवार्ड पारित होने तक 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज राशि ब्याज स्वरूप दी गयी है। प्रार्थीगण को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के समस्त लाभ दिये गये है, प्रार्थीगण अन्य कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें, पत्रावली, उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के जवाब एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर में भारतमाला परियोजना पैकेज—6 (पार्ट—1) के श्रीगंगानगर (एनएच—62) साधुवाली—जैड माईनर, श्रीकरणपुर—गजसिंहपुर —रायसिंहनगर के दो/चार लेन पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने व लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित होने के कारण राष्ट्रीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3A. Power to acquire land, etc, -

(1) Where the central Government is satisfied that for a public purpose any land in required for the building, maintenance, management or operation of a national highway of part thereof it may, by notification in the official gazette, declare its intention to acquire such land.

(2) Every notification under sub section (1) shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 24.06.2022 के पृष्ठ संख्या 1 बिन्दु संख्या 3 में निम्नानुसार अंकित किया है :

3 लोक सूचना के लिए उक्त अधिसूचना 1454(अ) का दिनांक 02.04.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में सीमा सन्देश व दैनिक भास्कर हिन्दी प्रारूप में दिनांक 11.04.2018 को इस आशय से प्रकाशित करवाया गया कि प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत हितबद्ध खातेदार, काश्ताकार / पक्षकारन अवाप्तिधीन भूमि के संबंध में यदि उनका कोई दावा / आक्षेप हो तो, वे उसे निर्धारित समयावधि 21 दिनों में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अर्थात उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि में प्रभावित खातेदारों की ओर से कुल 09 आपत्तियां प्रस्तुत हुई। सभी आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सभी आपत्तियों की सुनवाई की जाकर निस्तारण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3C Hearing of Objections

1. **<u>Any Person interested in the land may, within tweny-one days from the date of publication of the notification under sub section (1) of section 3A, object to the use of the land for the purpose or purpose mentioned in that sub-section</u>**
2. Every objection under sub section (1) shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legel practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessay, by order, either allow or disallow the objections

   Explanation : for the purpose of this sub- section "legal practitioner has the same meaning as in cluase (i) of sub-section(1) of Section 2 of the Advocate Act 1961 (25 of 1961)
3. Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final."

धारा 3ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत जो भी आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया गया है इसलिए प्रार्थी का यह कथन कि <u>सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई, स्वीकार करने योग्य नहीं है।</u>

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) [illegible] अधिकारी, करणपुर ने अपने अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के [illegible] बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में निम्नानुसार अंकित किया है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 7ए के अनुसार बाजार दर का निर्धारण उक्त अधिनियम की धारा 3ए के समाचार पत्रों में प्रकाशन की दिनांक से किया जाना है। इस प्रकरण में धारा 3ए का प्रकाशन समाचार पत्रों में दिनांक 11.04.2018 को हुआ है इसलिए उस दिन प्रचलित बाजार दर से अवाप्तधीन भूमि की बाजार दर का निर्धारण किया जाना है। इस हेतु उप पंजीयक, श्रीकरणपुंर को दिनांक 11.04.2018 को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित प्रचलित बाजार दर की गणना भिजवाने हेतु लिखा गया। उप पंजीयक, श्रीकरणपुर द्वारा अनुमोदित डीएलसी दर उपलब्ध करवायी गयी (प्रति संलग्न)
3. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मुं उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची के क्रम संख्या 1 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु धारा 26(1)(क) के अन्तर्गत उप पंजीयक से डीएलसी अनुमोदित दरें प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम की प्रथम सूची के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। उक्त पहली अनुसूची के क्रम संख्या 2 में शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य का कारक (Factor) से गुणित किया गया है। जिसमें समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार कारक (Factor) से गुणित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3(ड) (i) अनुसार किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से तात्पर्य इस परियोजना में राजस्थान सरकार से है। इसलिए संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.1(3) राज. 6/2011/पार्ट /26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 इस प्रकरण पर लागू होती है, कारक निर्धारण हेतु ग्रामों की दूरी शहरी सीमा क्षेत्र के **अन्तिम बिन्दु से Ra[illegible] के अनुसार किया गया है।** अवार्ड निर्धारण [illegible] ग्राम [illegible] (2) 12 O (3) 46F में कारक (Factor) 1.25 (0 से 10 कि.मी.) एवं ग्राम (4) 44F (5) 5 O (6) 6O-A (7) 6O-B(8) 9W में कारक (Factor) 1.50 (10 से 20 कि.मी.) में आने के कारण लागू होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा जारी अधिसूचना निम्नानुसार अवलोकनीय है:

अधिसूचना

भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 26 की उप–धारा (2) सपठित प्रथम अनुसूचि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज–6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारित हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह गुणक निम्ना अनुसार होगा :

शहरी क्षेत्र से दूरी	**गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे**
0–10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

स्पष्टीकरण – जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका सीमा तक के क्षेत्र जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचित कुल वार्ड क्षेत्र सम्मिलित है, को शहरी क्षेत्र सीमा माना जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण उक्त अधिसूचना में दिये गये कारक(Factor) के अनुसार ही दिया जाना है जबकि प्रार्थी ने अपनी बहस में पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग से राशि दिये जाने की मांग की है, जो सही नहीं है क्योंकि प्रार्थी को उक्त कारक(Factor) के अनुसार की राशि निर्धारित कर भुगतान किया गया है। **इसलिए प्रार्थी का पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग राशि दिये जाने बिन्दु खारिज किया जाता है, साथ ही प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि किस्म यथा औद्योगिक/वाणिज्य/कृषि के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।**

विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा डी.एल.सी. दर समय समय पर निर्धारित की जाती है और प्रार्थी को डी.एल.सी. दरों के अनुरूप ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। **महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक एफ.7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 में दिये गये निर्देशानुसार, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई दरें ही वास्तविक बाजार मूल्य होती है।** इसलिए प्रार्थी का यह कथन की उसे दी गई मुआवजा राशि बाजार मूल्य से कम दी गई है, सही नहीं है। **इसलिए प्रार्थी का बाजार मूल्य से कम राशि दिये जाने का बिन्दु खारिज किया जाता है।**

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के पृष्ठ संख्या 3 बिन्दु संख्या 03 में निम्नानुसार अंकित किया है :

> 3 ग्राम 12 ओ क्रम संख्या 170 से 175 पर दर्ज भूमि को अधिसूचना में बारानी दर्शाया गया था, जबकि उक्त [illegible] दिनांक 07.07.2017 से औद्योगिक/ईन्ट [illegible] आदेश की प्रति संलग्न)। अतः उक्त [illegible] औद्योगिक किया जाकर दर निर्धारिण हेतु वित विभाग (कर अनुभाग) जयपुर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिसूचना संख्या 290 दिनांक 09.03.2015 के अनुरूप ऐसी भूमि जिसकी औद्योगिक दर निर्धारित न हो, **हेतु कृषि भूमि की दर के दोगुणा के आधार पर गणना की जावेगी।** अतः उक्त भूमि औद्योगिक रूपान्तरण से पूर्व बारानी किस्म की होने के कारण बारानी दर रू. 3,72,780 को दोगुणा दर रुपये 7,75,560/— प्रति हैक्टेयर के आधार पर मुआवजे का आकलन किया गया है।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग(कर अनुभाग) की अधिसूचना क्रमांक एफ4(4)वित्त/कर/2015—226, जयपुर, मार्च 09, 2015 का बिन्दु संख्या 02 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

2. रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर संस्थानिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें
संस्थानिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या संस्थानिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें –
(i) उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर से डेढ गुणा के समतुल्य होगी जहां भूमि सहकारी सोसाईटियों/पूर्व संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी है, और
(ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के दोगुणी के समतुल्य होगी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के पृष्ठ संख्या 03 बिन्दु संख्या 03 में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी की औद्योगिक भूमि पूर्ववर्ती बारानी किस्म की भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो **वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में ईंट भट्टा दर्ज थी, का मुआवजा डी.एल.सी. दर की दोगुणी दर के आधार पर अवाप्तिधीन औद्योगिक भूमि हेतु मुआवजा [illegible] किया गया है** जो कि संयुक्त **शासन सचिव, वित्त विभाग(कर अनुभाग) की अधिसूचना क्रमांक** एफ4(4)वित्त/कर/2015—226, जयपुर, मार्च 09, 2015 के **अनुसरण में किया गया है, जो सही है।**

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.07.2014 से अप्रार्थीगण के चक 12 के मुरब्बा नम्बर 38 किला नं. 16/0.228, 17 ता 20 सालम में 1.012 हैक्टर, 21/0.228, 22/0.228, 23/0.228, 24/0.228, 25/0.202 कुल 2.352 हैक्टर कृषि भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन (औद्योगिक (ईन्ट भट्टा)) के सपरिवर्तित किया गया है। जबकि अप्रार्थी की मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15, 16 एवं 25 की भूमि अवाप्त की गई है। **अप्रार्थीगण के किला नं. 5, 6 एवं 15 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है एवं किला नं. 16 एवं 25 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में औद्योगिक दर्ज है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दर्ज के अनुसार मुआवजा तय किया गया है, जो सही है। प्रार्थी का यह बिन्दु की उसे भूमि का मुआवजा औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत नहीं दिया गया है, खारिज किया जाता है।**

A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956 का पेज नं. 120 का पैरा **3.5.6(ii)** का निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **3.5.6 Other factors**
>
> (ii) Notwithstanding the above scenarios, **it is important to note that any improvement done in or over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored.** Conversely, any damage done to the land has to be duly factored while determining the compensation amount. It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton. Such development have to be ignored while determining the compensation amount. **It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on additional amount calculated @12% from the date of preliminaty Notification till the announcement of Award under sub-section(3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013.** to illustrate anoter situation, a landowner may decide to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official Gaxette, with the intention of making extra money from such sale. In the process, the landowner ends up creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be duly factored by the CALA while determining the compensation amount.

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26(1)क, 30(1) एवं 30(3) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

26 **कलक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण** : (1) कलक्टर, भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा, अर्थात :–

(क) उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों के रजि[illegible] अधिनियम, 1899 (1899 का 2) में विनिर्दिष्ट [illegible] या

30 तोषण का दिया जाना : (1) [illegible] किए जाने वाले सम्पूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने पर, [illegible]ंतिम अधिनिर्णय पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralhi
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पहुंचने के लिए और शत प्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य "तोषण" की रकम अधिरोपित करेगा।

(3) धारा 26 के अधीन उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलक्टर प्रत्येक मामले में, उस भूमि की बाबत ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली और कलक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा।

इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना निर्धारित डीएलसी दर (बाज़ार मूल्य) के आधार पर की गई है तथा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार निर्धारित कारक(Factor) से गुणक राशि एवं उक्त दोनों राशि के बराबर 100 प्रतिशत अतिरिक्त तोषण (Solatium) राशि (धारा 30 के अधीन) एवं धारा 30(3) के तहत बाजार मूल्य(डीएलसी) पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज(अवार्ड दिनांक तक) की गणना कर दी गई मुआवजा राशि सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति कम्पीटेंट अथोरिटी एंड एक्युजिशन उपखण्ड अधिकारी करणपुर को पालनार्थ भिजवाई [illegible] पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.10.2023 [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर